न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 88/2015

1 कवंर सिंह पुत्र स्व. फुलाराम
2 अभय सिंह पुत्र स्व. फुलाराम
3 भूपसिंह पुत्र स्व. फुलाराम
4 श्रीमती नाराणी देवी पत्नी स्व. फुलाराम
5 सत्येन्द्र पुत्र अभय सिंह
जाति समस्त अहीर निवासीगण नावता की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मन्दिर मूर्ति नागाजी विराजमान वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. सदैव नाबालिग जरिये तथाकथित मित्र सुरेश योगी पुत्र मातुराम, जाति योगी, निवासी ग्राम पचेरी कलां, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार भू–स्वामी जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रथम अपील अ.धा. 223 आर.टी. एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना, जिला झुन्झुनू राजस्व लोक अदालत/
कोर्ट कैम्प पचेरी कलां राजस्व वाद उनवानी
मन्दिर मूर्ति बनाम कंवर सिंह वगै. दावा बाबत
स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली दावा संख्या
52/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 2601, 2602, 2610, 2611, 2612 कुल किता 5 कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर सरहद मौजा नावता की ढाणी तहत तहसील बुहाना के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट संख्या 1, 5 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा फुलाराम के खिलाफ विचारण न्यायालय के यहां दावा किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का उक्त दावा विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.06.2015 का निर्णित कर डिक्री किया और

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बेदखली का व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पारित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावा के प्रतिवादी नम्बर 2 फुलाराम का देहान्त दिनांक 12.03.2015 को हुआ। मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित कर तथ्य व विधि की भूल की गई है। मृत प्रतिवादी फुलाराम के वारिस अपीलान्ट संख्या 1 से 4 है। अपीलान्ट संख्या 2 से 4 को बिना पक्षकार बनाये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की गई है। जमीन जैर बहस पर दावा दायरी के रोज अपीलान्टस संख्या 2 से 4 भी अन्य अपीलान्टस व स्व. फुलाराम के साथ काबिज काश्त रहे है। उक्त तथ्य की जानकारी तथाकथित मित्र सुरेश योगी को हमेशा रही है। उक्त सुरेश योगी को फुलाराम की मृत्यु की जानकारी भी हमेशा से रही है। इस प्रकार अपीलान्टस संख्या 2 से 4 दावा में आवश्यक पक्षकार रहे है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस कैम्प कोर्ट में पारित किया है। कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस अथवा अभिभाषक को सूचित नहीं किया गया। नियत पेशी दिनांक 19.05.2015 को कैम्प कोर्ट मे सुनवाई की पेशी दिनांक 10.06.2015 तय की गई। दिनांक 19.05.2015 की ऑर्डर शीट से इस बात की ताईद होती है कि अपीलान्टस अथवा अभिभाषक को सूचित नहीं यिका गया। सुनवाई के वक्त अपीलान्टस एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं थे। आदेशिका दिनांक 10.06.2015 में वकुलाये उपस्थित भी गलत दर्ज है। अपीलान्ट संख्या 1, 5 का वकील दिनांक 10.06. 2015 व दिनांक 19.05.2015 को उपस्थित नही थे बल्कि वकील साहब को दिनांक 19.05.2015 को कहा गया था कि मिसल पेशी में नहीं आई और कहा कि मिसल मिलने का सुचित किया जावेगा। निर्णय जैर बहस में भी बहस सुनी जाना दर्ज किया है जबकि अपीलान्टस संख्या 1 व 5 के वकील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थित ही नही थे। निर्णय जैर बहस में जवाब दावा पेश नहीं किया जाना भी गलत दर्ज किया गया है। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा बन्द कर दिया हो ऐसा तथ्य भी दर्ज नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने साक्ष्य सबूत पेश करने से वंचित रखा है। दावा साबित करने के लिये विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य भी साबित नहीं है। राजस्व रिकार्ड से स्वत्व पैदा नहीं होता। राजस्व रिकार्ड स्वतः ही खातेदारी का प्रमाण नहीं हो सकता जब तक की उसको साबित नहीं कर दिया जाता है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लींडिग से हट कर अनुतोष दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने दावा में यह दर्ज नहीं किया कि जमीन जैर बहस पर नाजायज कब्जा कब से है। जमीन जैर बहस से मिट्टी निकालने का तथ्य कैसे साबित है यह तथ्य भी साबित नहीं है। अपीलान्ट संख्या 2 से 4 दावें के प्रतिवादी फुलाराम के वारिस है और जमीन जैर बहस पर फुलाराम के साथ हक से साबित काश्त रहे है तथा निर्णय व डिक्री से प्रभावित है। इस कारण अपीलान्ट संख्या 2 से 4 को भी अपील पेश करने का हक है। इजाजत के लिये अपीलान्ट संख्या 2 से 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब दावा में नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना, सुनवाई किये बिना विधिक प्रक्रिया के विपरित विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)